

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
पोंडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ0ग0)

//लोक सूचना-पत्र//

क्रमांक-423/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2017, पोंडीउपरोड़ा,

दिनांक 03/05/2017.

(भू-अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार)

अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत

(राजस्व प्रकरण क्रमांक-02-अ-82/2013-14)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)की धारा 21 के अधीन छ0 ग0 राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छ0 ग0 राज्य में कटघोरा बॉयपास मार्ग के निर्माण के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी . और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था.

अतः अब राज्य शासन सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अधिनियम 2013 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जायेगी .

और यह कि राज्य शासन उक्त अधिनियम की धारा 21 के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य शासन में आत्यांतिक रूप से निहित हो जायेगी.

और यह कि ये अधिसूचना छ0ग0 राज्य शासन के राजपत्र में दिनांक 15 जनवरी 2016 को प्रकाशित की जा चुकी है .

और यह कि राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 21 के अनुसरण में उपर्युक्त वर्णित भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से सक्षम अधिकारी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी(रा), पोंडीउपरोड़ा के सम्मुख दिनांक 25/05/2017 को उपस्थित होकर अपने हित की प्रकृति का कथन साक्ष्यों सहित कर सकता है .

ग्राम- रामपुर, रा.नि.मं. व तहसील-पोंडीउपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्र0	खसरा नम्बर	रकबा एकड़ में.
(1)	310/6	0.15

(अखिलेश साहू)

अनुविभागीय अधिकारी(रा)एवम्
भू-अर्जन अधिकारी,पोंडीउपरोड़ा

भाग - 1 (घ)

भूमि, परिसंपत्तियों तथा वृक्षों के मुआवजा का गोशवारा

ग्राम - रामपुर, ग्राम पंचायत - रामपुर, प.ह.नं. - 36, रा.नि.मं. - पोड़ी उपरोड़ा, तहसील - पोड़ी उपरोड़ा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम, पिता/पति का नाम, जाति	कुल धारित भूमि			अर्जित भूमि का विवरण			भूमि का मुआवजा	परिसंपत्तियों का मुआवजा	वृक्षों का मुआवजा	निर्धारित कुल मुआवजा
		खसरा नंबर	रकबा हे. में	लगान	खसरा नंबर	रकबा हे. में	लगान				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रामसिंह पिता हीरसिंह	310/6	0.162		310/6	0.061/ 0.15		120000.0			120000.0
								120000.00			120000.00

रामपुर उपरोड़ा

श्रीमती क्रांति चामरा
प.ह.नं. - पोड़ी उपरोड़ा
जिला - कोरबा (छ.ग.)

तहसीलदार
पोड़ी उपरोड़ा

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी
पोड़ी उपरोड़ा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

भूमि का मुआवजा पत्रक

ग्राम - रामपुर, ग्राम पंचायत - रामपुर. प.ह.नं. - 36, रा.नि.मं. - पोड़ी उपरोड़ा, तहसील - पोड़ी उपरोड़ा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम, पिता/पति का नाम, जाति	कुल धारित भूमि		अर्जित भूमि का विवरण		पड़त भूमि का प्रकार			अर्जित भूमि का		बाजार मूल्य X कारक	100% सोलेशियम की राशि	बाजार मूल्य पर धारा 30(3) के अनुसार ब्याज	कुल निर्धारित मुआवजा	मुआवजा राशि यदि 6, 8, 10 लाख से कम है तो देय मुआवजा राशि	रिमाक		
		ख.नं.	रकबा	लगान	ख.नं.	रकबा हे. /ए. में	लगा न	पड़त	एक फसली	दो फसली							दर	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	रामसिंह पिता हीरासिंह	310/6	0.162		310/6	0.061/ 0.15			एक फसली		183198.4	27480.00	27480.00	27480.00	3298.00	58258.00	120000.00	
	कुल 01												27480.00	27480.00	3298.00	58258.00	120000.00	

रामपुर, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.)

प.ह.नं. 36, रा.नि.मं. 36

क्षेत्रीय अधिकारी, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.)

रामपुर

तहसीलदार
पोड़ी उपरोड़ा

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी
पोड़ी उपरोड़ा, जिला - कोरबा (छ. ग.)